विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L0028912, L0029313, L0029513, L0029613, L0030613</u>

(1) **प्रकरण क्रमांक L0028912**

श्रीमती नाजनीन कुरैशी, – आवेदक
बस स्टेण्ड के पीछे,
मस्जिद के पास, रेडरोज ब्यूटी पार्लर,
हड्डी गोदाम, भगतसिंह वार्ड,
सिवनी, पो0तह0 व जिला–सिवनी–480661 (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, – अनावेदक
सिवनी (म.प्र.) 480661
तथा
अन्य एक

(2) **प्रकरण क्रमांक L0029313**

श्री दयाराम डेहरिया, – आवेदक
स्टेडियम के पीछे, झूलेलाल कालोनी,
महामाया वार्ड, सिवनी,
मुकाम, पोस्ट–तहसील एवं जिला सिवनी (म.प्र.)
पिनकोड – 480661

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, – अनावेदक
सिवनी (म.प्र.) 480661
तथा
अन्य एक

(3) **प्रकरण क्रमांक L0029513**
श्रीमती शोभा स्वामी, पति श्री बलवंत स्वामी, — आवेदक
डी.ई.ओ. आफिस के पीछे, सी.व्ही. रमन वार्ड,
सिवनी, पोस्ट–तहसील एवं जिला सिवनी (म.प्र.)
पिनकोड – 480661

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदक
सिवनी (म.प्र.) 480661
तथा
अन्य एक

(4) **प्रकरण क्रमांक L0029613**
श्रीमती सुधा ठाकुर पति स्व. श्री उमेश ठाकुर, — आवेदक
स्टेडियम के पीछे, झूलेलाल कालोनी,
महामाया वार्ड, सिवनी,
मुकाम, पोस्ट–तहसील एवं जिला सिवनी (म.प्र.)
पिनकोड – 480661

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदक
सिवनी (म.प्र.) 480661
तथा
अन्य एक

(5) **प्रकरण क्रमांक L0030613**
श्रीमती स्वर्णलता श्रीवास्तव, — आवेदक
डी.ई.ओ. आफिस के पीछे, सी.व्ही. रमन वार्ड,
सिवनी, पोस्ट–तहसील एवं जिला सिवनी (म.प्र.)
पिनकोड – 480661

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदक
सिवनी (म.प्र.) 480661
तथा
अन्य एक

प्रकरण क्रमांक L0028912, L0029313, L0029513, L0029613, L0030613

आदेश
(दिनांक 17.09.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत क्रमांक 515/12 श्रीमती नाजनीन विरूद्ध कार्यपालन यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2012, (2) शिकायत क्रमांक 554/12 श्री दयाराम डेहरिया विरूद्ध कार्यपालन यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2012 (3) शिकायत क्रमांक 553/12 श्रीमती शोभा स्वामी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2012 (4) शिकायत क्रमांक 547/12 श्रीमती सुधा ठाकुर विरूद्ध कार्यपालन यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2012 एवं (5) शिकायत क्रमांक 615/12 श्रीमती स्वर्णलता विरूद्ध कार्यपालन यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 के विरूद्ध उपभोक्ता/आवेदक की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं ।

2. सभी शिकायतों की मूल विषय–वस्तु एक है, अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण एक साथ किया जाता है ।

3. उक्त सभी प्रकरणों से संबंधित शिकायत एवं फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं को अस्थाई विद्युत कनेक्शन दिया गया था । उन्होंने स्थाई विद्युत कनेक्शन न दिए जाने की शिकायत की थी । फोरम द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं से की शिकायतों को मान्य किया जाकर अनावेदक को नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का आदेश दिया है अर्थात् स्थाई विद्युत कनेक्शन दिए जाने का निर्देश दिया है ।

4. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करने के लिए फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना की गई है, के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि फोरम द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण न किए जाने पर ही उपभोक्ता ऐसी शिकायतों के संबंध में अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल को प्रस्तुत कर सकते हैं । उक्त मामलों में उपभोक्ता की शिकायतों का निराकरण फोरम द्वारा किया जा चुका है, अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

5. जहां तक फोरम के आदेश का पालन अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा न किए जाने का प्रश्न है, की स्थिति में आदेश देने वाले फोरम ही कार्यवाही करने के लिए सक्षम है । विद्युत लोकपाल को पृथक से इस संबंध में कार्यवाही करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । उपभोक्ता चाहे तो फोरम को उक्त स्थिति से अवगत करा सकते हैं कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा फोरम के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है ।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर फोरम के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता, अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन निरस्त किए जाते हैं ।

7. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल